@shahjahanpurpol

प्रेस नोटः- जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 13.11.2022

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुमशुदा/अपहर्ता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी उद्देश्य नि0ग्रा0 महमूदपुर का शव कंकाल अवशेषो के रुप में गन्ने के खेत से बरामद कर अभियुक्त पति गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री वी0एस0 वीरबहादुर क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन तथा श्री राजकुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक तिलहर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम अपराध व अनवर्क आउट (अभियोगो) के अनावरण एवं वांछित अपराधी की गिरफ्तारी के क्रम मे अभियुक्त उद्देश्य पुत्र गुड्डू मिस्त्री नि0ग्रा0 महमूदपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर को उसके ही द्वारा अपनी पत्नी की हत्या व घटनास्थल से शव के अवशेष बरामद करने एवं गिरफ्तार करने में मिली फलता।

दिनांक 10.09.2022 को गुमशुदा लक्ष्मी उम्र करीब 21 वर्ष के सम्बन्ध में उसके पति उद्देश्य द्वारा गुमशुदगी पंजीकृत करायी गयी थी। तत्पश्चात अपहर्ता लक्ष्मी की माँ रामादेवी पत्नी भूरे नि0ग्रा0 नरसा नगला थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपनी लडकी के अपहरण व दहेज उत्पीडन के सम्बन्ध में दिनांक 02.11.2022 को मु0अ0सं0 805/22 धारा 498ए/506/365 IPC व 3/4 DP ACT बनाम उद्देश्य एवं सास, ससुर एवं जेठानी के विरुद्ध पंजीकृत कराया था।

उक्त घटना के अनवारण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक तिलहर को टीम गठित करके खुलासा करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 13.11.2022 को अपहर्ता लक्ष्मी का मोबाइल बरामद करके अभियुक्त (पति) अपहर्ता लक्ष्मी की निशादेही पर **ग्राम बिलहरा के जंगल से** अपहर्ता लक्ष्मी का शव अस्थियो के अवशेष के रुप में बरामद हुआ तथा अस्थियो के अवशेषो के पास से ही मृतिका लक्ष्मी की चप्पले, चूढियाँ तथा लाल रंग का सूट बरामद हुआ जिसकी पहचान मौके पर मृतिका के परिवारीजनो द्वारा की गई। अभियुक्त उद्देश्य को उक्त अभियोग में समय 16.30 बजे घटनास्थल/बरामदगी स्थल ग्राम बिलहरा के जंगल में अन्तर्गत धारा 498ए/506/365/304बी/201 IPC व 3/4 DP ACT में गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. उद्देश्य पुत्र गुड्डू मिस्त्री नि0ग्रा0 महमूदपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0सं0 805/22 धारा 498ए/506/365/304बी/201 IPC व 3/4 DP ACT

बरामदगी विवरणः-

1. मृतिका लक्ष्मी के शव के अवशेष अस्थियो के रुप में
2. दो चप्पले
3. चूढियाँ
4. सलवार व सूट के अवशेष
5. एक अदद मोबाइल Lava (मृतिका लक्ष्मी का)

पूछताछ विवरण :-

अभियुक्त उद्देश्य से पूछताछ की गई तो बताया कि मेरी पत्नी लक्ष्मी से दहेज को लेकर तथा उसके किसी अन्य अवैध सम्बन्धो के कारण मतभेद चलता रहता था। मेरी शादी 06 जून 2022 को लक्ष्मी से हुई थी वह अपने घर मुझे बिना बताये दिनांक 01.09.2022 को चली गयी थी। मैं दिनांक 07.09.2022 को लेने हेतु गया था उसने आने से मना कर दिया था तब मैने उसको एक Lava का मोबाइल सिम नं0 9411454669 बात करने हेतू दिया था दिनांक 09.09.2022 को मैने प्रातः 10.30 बजे अपने मो0 नं0 7080901461 से लक्ष्मी को बिलहरा के हनुमान मन्दिर के पास बुलाया और पास ही के ग्राम बिलहरा के जंगल में ले जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और जब तक मुझे विश्वास न हो गया कि वह मर चुकी है तब तक मैं वही पर खडा रहा। इस घटना के बारे में मैने किसी को नही बताया था तथा थाने आकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी लिखा दी थी। इसके पश्चात लक्ष्मी के मोबाइल को 10-15 दिन बाद मेरे द्वारा 200 रुपये में सर्वेश गुप्ता को बेच दिया था तथा सिम तोडकर फेंक दिया था। लक्ष्मी के मोबाइल के पकडे जाने से मेरा खेल खत्म हुआ है अन्यथा मै नही पकडा जाता।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार शर्मा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. अपराध निरीक्षक श्री विनोद कुमार शर्मा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री यतेन्द्रपाल सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
5. उ0नि0 श्री घनश्याम बहादुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
6. हे0का0 427 अनिल कुमार सिद्दू थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 1584 अभिषेक कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
8. का0 1594 नवनीत कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 2259 दीपक कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
10. म0का0 1634 अन्जू थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर